राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

ठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

दमा संख्या :– 131/2024 प्रा०फल

1. दयाराम S/o गोकल गुर्जर नि० जागा का खेड़िया – त० करेड़ा – भील०

ार्थी

बनाम

. माधूसिंह S/o देवासिंह राजपूत नि० खेड़िया – त० करेड़ा – भील०

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

दिनांक 12/6/24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत नेवेदन किया कि ग्राम जागा का खेड़िया पटवार हल्का खेड़िया तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 41, 342, 343, 344, 345, 346, 347, ... कुलकिता 16 रकबा 4.0720 हैक्टेयर भूमि है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22/5/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम............ जागा का खेड़िया पटवार हल्का खेड़िया तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या राजी नम्बर 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 5, 346, 347, ... कुलकिता 16 रकबा 4.0720 हैक्टेयर भूमि तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. [illegible] को 1200/– /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर ार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्द को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल ोने पर पत्थरगढी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:47:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा